

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 7365

जयपुर, दिनांक: 5-2-2016

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(अ) अनुसूचित जाति

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-जयपुर (शहर)						
1.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, गांधी नगर प्रथम	अनु.जाति	85	15	0	70
		योग	85	15	0	70
जिला-भीलवाड़ा						
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, देवरिया, भीलवाड़ा	अनु.जाति	35	0	15	50
		योग	35	0	15	50
		महायोग	120	15	15	120

5/2/2016
(डॉ. एच. एस. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

जयपुर, दिनांक: 5-2-2016

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 7366-80

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर/भीलवाड़ा।
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर/भीलवाड़ा।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर)/भीलवाड़ा।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारी, भीलवाड़ा को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।

5/2/2016

अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)